ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं0 01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांकः ग्रेनो/बिल्डर्स/का0आ0/2018/ 1385
दिनांक : 17 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बिल्डर आवंटियों को उनके बिल्डर्स आवासीय/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर निर्मित यूनिट्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने हेतु कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र की तिथि से एक वर्ष का समय निःशुल्क अनुमन्य किया जाता है एवं इसके पश्चात निम्नानुसार विलम्ब शुल्क देय होता है–

- 100 वर्ग मीटर आकार तक के भवनों के लिए रू. 50/– प्रतिदिन प्रति भवन।
- 100 वर्ग मीटर आकार से अधिक भवनों के लिए रू.100/– प्रतिदिन प्रति भवन।
- वाणिज्यिक अथवा अन्य उपयोग के भवनों के लिए रू.100/– प्रतिदिन प्रति भवन।

प्राधिकरण की 106वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2016 में अनुमोदित प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कि बिल्डर्स की जो यूनिट्स कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की तिथि तक अविक्रीत (unsold) हैं, उनके मामले में कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की तिथि के स्थान पर विक्रय होने पर बिल्डर–बायर्स एग्रीमेंट की तिथि से 06 माह का समय त्रिपक्षीय सबलीजडीड निष्पादित कराने हेतु निःशुल्क अनुमन्य कर दिया जाये एवं तदोपरान्त नियमानुसार विलम्ब शुल्क आरोपित किया किया जायेगा।

वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि बिल्डर द्वारा अपनी परियोजना की कुछ यूनिट्स का पार्ट कम्पलीशन प्राप्त कर लिया गया था एवं प्राधिकरण के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार उनको कम्पलीशन पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर अपने बायर्स के पक्ष में बिना विलम्ब शुल्क के फ्लैट्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड करानी थी, परन्तु प्राधिकरण के नियमानुसार पार्ट कम्पलीशन प्राप्त यूनिट्स के लैण्ड एरिया के एकमुश्त लीजरेंट की धनराशि/ देयता का तत्समय तक भुगतान न करने के कारण अथवा अन्य प्रकरणों में उनकी पत्रावली विचाराधीन होने के कारण उनको प्राधिकरण से त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने की अनुमति दिये जाने में समय लग गया। जिसके कारण उन्हें अपने बायर्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने हेतु पर्याप्त समय (कम से कम एक वर्ष) का समय नहीं मिल पाया तथा उनके बायर्स पर उपरोक्त वर्णित विलम्ब शुल्क देय हो गया ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुऐ प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 के मद संख्या–112/7 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में उक्त व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुऐ यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण से त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने की अनुमति का पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष का निःशुल्क समय त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने हेतु इस शर्त के साथ प्रदान कर दिया जायेगा कि बिल्डर को कम्पलीशन पत्र निर्गत करने की तिथि से 3 माह के भीतर त्रिपक्षीय सब–लीजडीड निष्पादन कराने की अनुमति हेतु आवेदन करना होगा । यदि बिल्डर द्वारा निर्धारित तीन माह के उपरान्त त्रिपक्षीय सब लीजडीड निष्पादित कराने की अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है तो इस स्थिति में उस बिल्डर आवंटी को कार्यपूर्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तीन माह का समय निःशुल्क अनुमन्य होगा । तदोपरान्त उपर्युक्त वर्णित विलम्ब शुल्क आरोपित किया जायेगा ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. विशेष कार्याधिकारी (वी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. वरिष्ठ कार्यपालक/प्रबन्धक (बिल्डर्स) को अनुपालनार्थ ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

Bal Kr
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी